

पेज संख्या 1/6

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या: 18/2015

अपीलांट

1. सकीया पुत्र छोगाजी
2. गलबा पुत्र छोगाजी
3. जमना बेवा छोगाजी
4. नाथीया पुत्र मानाजी के मका
4/1 श्रीमति ढेपीदेवी पत्नी नाथाजी उम्र 66 वर्ष
4/2 निम्बाराम पुत्र नाथाजी, उम्र 43 वर्ष
4/3 सोनाराम पुत्र नाथाजी, उम्र 39 वर्ष
4/4 सेका पुत्री नाथाजी, उम्र 36 वर्ष
5. कनीया पुत्र मानाजी, समस्त जातियान भांबी, निवासीगण बिबलसर, तहसील व जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. जोईता पुत्र मूपाजी फौत के कायम मुकाम वारिसान
1/1 लसुदेवी पत्नी जोईता, जाति भांबी, निवासी बिबलसर, तहसील व जिला जालोर।
1/2 लेहरी पुत्री जोईता पत्नी खेताजी, निवासी सुमेरगढ खेडा, तहसील व जिला जालोर
1/3 लीला पुत्री जोईता पत्नी मीठाजी, जाति भांबी, निवासी देवाडा, तहसील व जिला जालोर
1/4 फैंन्सी पुत्री जोईता पत्नी मकाराम, जाति भांबी, निवासी रामसीन, तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर
1/5 मिनी पुत्री जोईता पत्नी ओटाजी, जाति भांबी, निवासी सिवणा, तहसील व जिला जालोर
2. हरजीराम पुत्र मुपाजी
3. रताराम पुत्र मुपाजी
4. धनीया पुत्र मुपाजी के कायम मुकाम वारिसान
4/1 प्रकाश पुत्र धनीया
4/2 रमेश पुत्र धनीया
4/3 कसु बेवा धनीया समस्त जातियान भांबी, निवासीगण बिबलसर, तहसील व जिला जालोर
5. शंकरिया पुत्र सामती
6. दिनेश पुत्र सामती
7. गकीया पुत्र वेलाजी फौत के कायम मुकाम वारिसान
7/1 बगदाराम पुत्र गकीया
7/2 केवाराम पुत्र गकीया



राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

18/2015

सकीया वगैरह बनाम जोईता वगैरा
पेज संख्या 2/6

- 7/3 होबाराम पुत्र गकीया समस्त जातियान भांबी, निवासीगण बिबलसर, तहसील व जिला जालोर
- 7/4 झमु पुत्री गकीया पत्नी छोगाजी, जाति भांबी, निवासी सवणा, तहसील व जिला जालोर
8. ढेपी बेवा केसीया के कायम मुकाम
- 8/1 पंकु पुत्री केसीया पत्नी जीवाजी, निवासी आडवाडा, तहसील जालोर व जिला जालोर
- 8/2 हंजा पुत्री केसीया पत्नी आदाराम निवासी आडवाडा, तहसील जालोर व जिला जालोर
- 8/3 मंजु पुत्री केसीया पत्नी पूसाराम, निवासी देलदरी, तहसील जालोर व जिला जालोर
9. सदा पुत्र कपुरा
10. किशना पुत्र कपुरा
11. जेपा पुत्र कपुरा
12. चुना पुत्र मुला फौत के कायम मुकाम
- 12/1 गिलाराम पुत्र चुनाराम
- 12/2 रमेश कुमार पुत्र चुनाराम
- 12/3 सुबटी बेवा चुनाराम
13. सवीया पुत्र भगाजी
14. नगा पुत्र भगाजी
15. जगाराम पुत्र दुदीया
16. भाणाराम पुत्र हकीया
17. तुलसाराम पुत्र हकीया
18. मगनाराम पुत्र हकीया
19. फाउडाराम पुत्र हकीया समस्त जातियान भांबी, निवासीगण बिबलसर, तहसील व जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :-

श्री बसन्त कुमार गहलोट, विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट
श्री नैनसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेन्ट
श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेन्ट

—: निर्णय :-

दिनांक:- 29/01/2021

1. अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

18/2015

सकीया वगैरह बनाम जोईता वगैरा

पेज संख्या 3/6

54/04 बउनवान जोईताराम बनाम सकीया में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। वकील उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

2. विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 लगायत 04 ने अपीलांतगण के विरुद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बिबलसर में स्थित खसरा नंबर 978 से 990 कुल खसरा 13 कुल रकबा 5.61 हैक्टेर के संबंध में प्रस्तुत कर उक्त आराजी में से 1/8 हिस्सा खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है।
3. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 लगायत 04 द्वारा प्रस्तुत वाद का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये, उसके पश्चात बावजूद सम्मन तामिल गैर हाजिर रहने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में ली गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण की तामिली विधिवत तरीके से नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सम्मन प्राप्त होने पर अपीलांत नाथीया पुत्र मानीया द्वारा अपने विरुद्ध हुई एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त कराने हेतु दिनांक 05.11.2004 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब नहीं लिया गया एवं न ही उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना ही दिनांक 07.01.2009 को वादी गवाहन के बयान लिये गये। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 05.11.2004 को प्रस्तुत होने के बावजूद उक्त प्रार्थना पत्र का कोई भी उल्लेख आदेशिका दिनांक 22.11.2004, 10.01.2005, 24.02.2005, 05.04.2005, 17.05.2005 में नहीं किया गया। केवल मात्र आदेशिका दिनांक 27.06.2005 व 10.08.2005 में उक्त प्रार्थना पत्र का अवश्य उल्लेख किया गया, किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 21 मूली की मृत्यु के संबंध में दिनांक 18.04.2006 को रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी थी, किन्तु प्रतिवादी संख्या 21 मूली के कायम मुकाम को रेकॉर्ड पर नहीं लिया गया। कायम मुकाम को रेकॉर्ड पर नहीं लाये जाने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद एबेट किये जाने योग्य था। नाथीया व अन्य अपीलांतगण के विरुद्ध वाद संख्या 54/04 के साथ वाद संख्या 55/04 व 56/04 भी प्रस्तुत किये गये थे, उक्त समस्त वादों में अपीलांतगण के सम्मन विधिवत रूप से तामिल नहीं करवाये गये।
4. वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बिबलसर के पुराने खसरा नंबर 162 के नवीन खसरा नंबर 978 से 990 में वक्त प्रथम बंदोबस्त के समय से ही माना पुत्र सदाजी के ही कब्जे काश्त की होने से उनके नाम से ही उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में दर्ज हुई।



राजस्थान न्यायालय प्राधिकारी
पाली

18/2015

सकीया वगैरह बनाम जोईता वगैरा

पेज संख्या 4/6

वादग्रस्त आराजी कभी भी सदाजी के नाम दर्ज नहीं हुई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 लगायत 04 द्वारा अपनी साक्ष्य में ऐसा कोई दस्तावेजी प्रदर्श नहीं करवाया गया, जिससे यह साबित होता हो कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 लगायत 04 के पक्ष में विवादित डिक्री पारित की जा सके। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदर्श-3 पर्चा लगान जिसमे मानीया पुत्र सदाजी का ही नाम सहखातेदार में साथ इन्द्राज होते हुए भी प्रदर्श-3 की अनदेखी करते हुए रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 से 04 के पिता मूपला पुत्र सदा मात्र मानाजी का भाई होने से रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 लगायत 04 को वादग्रस्त आराजी में जैर अपील निर्णय व डिक्री द्वारा खातेदार घोषित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमावे।

5. वकील रेस्पोंडेन्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों का प्रत्युत्तर देते हुए निवेदन किया कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 लगायत 04 ने अपीलांटगण के विरुद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बिबलसर में स्थित खसरा नंबर 978 से 990 कुल खसरा 13 कुल रकबा 5.61 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर उक्त आराजी में से 1/8 हिस्सा खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है।
6. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी यानि रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 लगायत 04 द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर समस्त प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। समस्त प्रतिवादीगण बावजूद तामिल सम्मन के गैर हाजिर रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई एवं प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित होने से उक्त पक्षकार के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही निरस्त की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष समस्त पक्षकारो को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है।
7. वादग्रस्त आराजी अपीलांट एवं रेस्पोंडेन्ट की पुश्तैनी आराजी है, किन्तु प्रथम सेटलमेंट के दौरान वादग्रस्त आराजीयात में मूपला व मानीया पुत्र सादला की बजाय मात्र मानीया वल्द सादा दर्ज किया गया, जबकि मूपला व मानीया दोनो सगे भाई है। वादग्रस्त आराजी में दोनो भाईयो का नाम दर्ज होना चाहिये था, किन्तु वक्त प्रथम सेटलमेंट वादग्रस्त आराजी में केवल मात्र मानीया का नाम दर्ज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त दस्तावेजी साक्ष्यो का अवलोकन करने के पश्चात जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

राजस्थान न्यायालय प्राधिकार
पाली

18/2015

सकीया वगैरह बनाम जोईता वगैरा

पेज संख्या 5/6

8. वकील उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट संख्या 01 लगायत 04 ने अपीलांतगण के विरुद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बिबलसर में स्थित खसरा नंबर 978 से 990 कुल खसरा 13 कुल रकबा 5.61 हैक्टेर के संबंध में प्रस्तुत कर उक्त आराजी में से 1/8 हिस्सा खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेंट संख्या 01 लगायत 04 द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नोटिसों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांतगण के नोटिस पूर्णतया विधिवत रूप से तामिल नहीं करवाये गये, जिससे अपीलांतगण को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान नहीं हो सका।

9. हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पर सेटलमेंट पूर्व से मानीया का कब्जा काश्त होने के कारण वक्त प्रथम सेटलमेंट उक्त आराजी मानीया पुत्र सादा के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज की गई। रेस्पोंडेंट संख्या 01 लगायत 04 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी आराजी हो। वादग्रस्त आराजी पर सेटलमेंट पूर्व से मानीया का कब्जा काश्त था, जिसके कारण वक्त प्रथम सेटलमेंट उक्त आराजी मानीया के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज की गई। रेस्पोंडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त आराजी पर संवत् 2008 से पूर्व से ही मानीया व मूपला पिसरान सादा की सामलाती काश्त करने का अंकन करते हुए दावा प्रस्तुत किया, परन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। केवल मात्र गवाहों के बयानों (ORAL EVIDENCE) के आधार पर जैर अपील निर्णय व डिक्री के जरिये रेस्पोंडेंट संख्या 01 लगायत 04 को अपीलांत की खातेदारी आराजी में से 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है। इस संबंध में माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा अपने विनिर्णय 2015(2)R.R.T 1077 Jethdan vs Megha & Ors. में यह प्रतिपादित किया गया है कि "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955-धारा 88 व 188-घोषणा हेतु वाद-राजस्व अपील प्राधिकारी ने निर्णय व डिक्री अपास्त किया और वाद खारिज किया-संवत् 2043 से 2046 के राजस्व रेकॉर्ड में भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज थी-रेकॉर्डेड खातेदारी मौखिक साक्ष्य व मौका रिपोर्ट के आधार पर समाप्त नहीं की जा सकती-सेटलमेंट से अपीलाण्ट्स भूमि के कब्जे में है, साबित करने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की-निर्णीत, राजस्व अपील प्राधिकारी ने वाद खारिज करने और निर्णय व डिक्री अपास्त करने में त्रुटि नहीं की है।" उक्त विनिर्णय में यह स्पष्ट प्रतिपादित किया गया है कि मौखिक साक्ष्य के आधार पर रेकॉर्डेड खातेदारी समाप्त नहीं की जा सकती है। रेस्पोंडेंट संख्या 01 लगायत 04 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया हो, जिससे वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी साबित हो या उक्त आराजी पर

पुल्ल
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

18/2015


सकीया वगैरह बनाम जोईता वगैरा

पेज संख्या 6/6

रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 लगायत 04 के पूर्वज का सेटलमेंट से पूर्व कब्जा साबित होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजों को दरकिनार करते हुए केवल मात्र गवाहों के बयानों (ORAL EVIDENCE) के आधार पर जैर अपील निर्णय व डिक्री के जरिये रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 लगायत 04 को अपीलान्त की खातेदारी आराजी में से 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

10. परिणाम स्वरूप अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 54/04 बउनवान जोईताराम बनाम सकीया में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2013 को अपास्त किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/01/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली



डिक्री पर्चा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या: 18/2015

अपीलांत

1. सकीया पुत्र छोगाजी
2. गलबा पुत्र छोगाजी
3. जमना बेवा छोगाजी
4. नाथीया पुत्र मानाजी के मका
4/1 श्रीमति ढेपीदेवी पत्नी नाथाजी उम्र 66 वर्ष
4/2 निम्बाराम पुत्र नाथाजी, उम्र 43 वर्ष
4/3 सोनाराम पुत्र नाथाजी, उम्र 39 वर्ष
4/4 सेका पुत्री नाथाजी, उम्र 36 वर्ष
5. कनीया पुत्र मानाजी, समस्त जातियान भांबी, निवासीगण बिबलसर, तहसील व जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोंडेन्ट

1. जोईता पुत्र मूपाजी फौत के कायम मुकाम वारिसान
1/1 लसुदेवी पत्नी जोईता, जाति भांबी, निवासी बिबलसर, तहसील व जिला जालोर।
1/2 लेहरी पुत्री जोईता पत्नी खेताजी, निवासी सुमेरगढ खेडा, तहसील व जिला जालोर
1/3 लीला पुत्री जोईता पत्नी मीठाजी, जाति भांबी, निवासी देवाडा, तहसील व जिला जालोर
1/4 फैंन्सी पुत्री जोईता पत्नी मकाराम, जाति भांबी, निवासी रामसीन, तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर
1/5 मिनी पुत्री जोईता पत्नी ओटाजी, जाति भांबी, निवासी सिवणा, तहसील व जिला जालोर
2. हरजीराम पुत्र मुपाजी
3. रताराम पुत्र मुपाजी
4. धनीया पुत्र मुपाजी के कायम मुकाम वारिसान
4/1 प्रकाश पुत्र धनीया



AK
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

- 4/2 रमेश पुत्र धनीया
4/3 कसु बेवा धनीया समस्त जातियान भांबी, निवासीगण बिबलसर, तहसील व जिला जालोर
5. शंकरिया पुत्र सामती
6. दिनेश पुत्र सामती
7. गकीया पुत्र वेलाजी फौत के कायम मुकाम वारिसान
7/1 बगदाराम पुत्र गकीया
7/2 केवाराम पुत्र गकीया
7/3 होबाराम पुत्र गकीया समस्त जातियान भांबी, निवासीगण बिबलसर, तहसील व जिला जालोर
7/4 झमु पुत्री गकीया पत्नी छोगाजी, जाति भांबी, निवासी सवणा, तहसील व जिला जालोर
8. ढेपी बेवा केसीया के कायम मुकाम
8/1 पंकु पुत्री केसीया पत्नी जीवाजी, निवासी आडवाडा, तहसील जालोर व जिला जालोर
8/2 हंजा पुत्री केसीया पत्नी आदाराम निवासी आडवाडा, तहसील जालोर व जिला जालोर
8/3 मंजु पुत्री केसीया पत्नी पूसाराम, निवासी देलदरी, तहसील जालोर व जिला जालोर
9. सदा पुत्र कपुरा
10. किशना पुत्र कपुरा
11. जेपा पुत्र कपुरा
12. चुना पुत्र मुला फौत के कायम मुकाम
12/1 गिलाराम पुत्र चुनाराम
12/2 रमेश कुमार पुत्र चुनाराम
12/3 सुबटी बेवा चुनाराम
13. सवीया पुत्र भगाजी
14. नगा पुत्र भगाजी
15. जगाराम पुत्र दुदीया
16. भाणाराम पुत्र हकीया
17. तुलसाराम पुत्र हकीया
18. मगनाराम पुत्र हकीया
19. फाउडाराम पुत्र हकीया समस्त जातियान भांबी, निवासीगण बिबलसर, तहसील व जिला जालोर



राजस्थान अदील प्राधिकारी
पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


उपस्थित :-

श्री बसन्त कुमार गहलोत, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री नैनसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेन्ट
श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेन्ट

-: निर्णय :-

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 54/04 बउनवान जोईताराम बनाम सकीया में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2013 को अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29/01/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

